



भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2022-23/2022/2806

Dated: 24-06-2022

To,
The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

Sub: एंटी रैगिंग अभिविन्यास/ दिशानिर्देश कार्यक्रम - के संबंध में

Sub: Anti-ragging orientation program - Regarding

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि दंत कॉलेजों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम 2009 के अनुसार, डेंटल कॉलेजों के प्रबंधन/प्राचार्य का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि यूजी/पीजी डेंटल छात्र जिस कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त करे वहां दंत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रवाहकीय वातावरण बने और डेंटल कॉलेजों में किसी भी प्रकार की रैगिंग को रोकने/प्रतिबंधित/अंकुश के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये ताकि यूजी/पीजी डेंटल कोर्स के छात्र इसके विभिन्न मापदंडों और दंत शिक्षा की अवधारणाओं का अध्ययन करने में सक्षम बने और एक शांत और शांतिपूर्ण माहौल हो क्योंकि दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए कठिन अध्ययन की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, संस्थान स्तर (प्रवेश से पहले) पर रैगिंग की रोकथाम के लिए उपाय शीर्षक के तहत उपरोक्त विनियमों का उप-विनियम 9.1.8 का प्रासंगिक उद्धरण आपके तैयार संदर्भ के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"9.1.8. शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में, संस्थान के प्रमुख विभिन्न पदाधिकारियों/एजेंसियों, जैसे छात्रावास वार्डन, छात्रों के प्रतिनिधियों, अभिभावकों/अभिभावकों, संकाय, पुलिस सहित जिला प्रशासन की एक बैठक बुलाकर संबोधित करेंगे। संस्था में रैगिंग को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें उचित दंड देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।"

दन्त महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने वाले डीसीआई विनियम, 2009 के उपरोक्त प्रावधानों और भारतीय दन्त परिषद की सामान्य सभा दिनांक 11 और 12 जून 2015 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि कृपया रैगिंग रोधी प्रकोष्ठों/समितियों/दंत महाविद्यालयों के दस्ते के सदस्यों को आवधिक प्रशिक्षण और सभी छात्रों के बीच रैगिंग के बारे में जागरूकता के लिए अपने राज्य या पड़ोसी राज्यों (यदि आपके राज्य में उपलब्ध नहीं है) से डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी एक सदस्य को बीडीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत में अपने डेंटल कॉलेज में एक कार्यशाला / संगोष्ठी / सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध / कॉल करें, जोकि डॉ. आर.के. राघवन सीबीआई के पूर्व निदेशक की अध्यक्षता में यूजीसी, नई दिल्ली में दिनांक 12.06.2014 को आयोजित रैगिंग रोधी निगरानी समिति की बैठक के दौरान निर्णय लिया गया था।

आपसे यह भी अनुरोध है कि आपके डेंटल कॉलेज द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन की सीडी/तस्वीरें

और उपरोक्त कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लेने वालों की सूची डीसीआई को 15 जुलाई, 2022 तक, इस मामले में आगे की कार्यवाही हेतु, सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें।

डीसीआई के सदस्य के टीए/डीए सहित उपरोक्त कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन का सभी खर्च संबंधित डेंटल कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा।

डीसीआई की कार्यकारी समिति (20.05.2022) का उक्त निर्णय आपकी जानकारी के लिए सूचित किया जाता है।

Sir/Madam,

I am directed to inform that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges 2009, it shall be the duty and responsibility of Management/Principal of the Dental Colleges to create a conducive atmosphere for imparting dental education to the UG/PG Dental students undergoing training in such colleges and take all necessary steps to prevent/prohibit/curb ragging of any type in their Dental Colleges to enable students to study the UG/PG Dental Course and its various parameters and concepts of dental education in a calm and peaceful atmosphere as the dental education requires grueling studies.

Further, the relevant extract of sub-regulations 9.1.8 under the heading Measures for prevention of ragging at the institutions level (before admissions) of the above regulations is reproduce hereunder for your ready reference :-

“9.1.8 At the commencement of the academic session, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like hostel Wardens, representatives of students, parents/guardians, faculty, district administration including police to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to indentify the offenders and punish them suitably.”

In view of the above provisions of DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges,2009 and the decision of the General Body of the Dental Council of India arrived in its meeting held on 11th & 12th June 2015 at New Delhi, I am directed to request you to kindly request/call any one member of Dental Council of India from your State or neighboring States (if not available in your State) to conduct a Workshop/Seminar/Conference at your Dental College **in the beginning of BDS Course**, for periodic training to the members of the Anti Ragging Cells/Committees/Squads of Dental Colleges and for awareness about ragging between all students, as decided during the meeting of Anti-Ragging Monitoring Committee held on 12.06.2014 under the Chairmanship of Dr. R.K. Raghvan, Former Director of CBI at UGC, New Delhi.

You are also requested to furnish the CD/Photographs of the Workshop/Seminar/Conference to be conducted by your Dental College and also furnish the list of participants of the above Workshop/Seminar/Conference to DCI, **by 15th July, 2022 positively**, for furtherance in the matter.

All the expenses of the above workshop/seminar/conference including TA/DA of the member of the DCI shall be borne by concerned Dental College.

The aforesaid decision of the Executive Committee (20.05.2022) of DCI is communicated for your information.

Yours faithfully,

(Mukesh Kumar)
Deputy Secretary
Dental Council of India

Copy for information to:-

1. डॉ. सुरेंद्र अग्रवाल, (via Email)
Bhopal (M.P.), Madhya Pradesh - surendraa72@gmail.com
जानकारी हेतु।

2. डॉ. एस के कथरिया, , (via Email)
प्रो. एवं प्रमुख, ,
विभाग डेंटल सर्जरी, एस.एन. चिकित्सा महाविद्यालय,
Agra, Uttar Pradesh - 282003.
katharia_sk@yahoo.com
जानकारी हेतु।

(Mukesh Kumar)
Deputy Secretary
Dental Council of India

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi